कार्यालय मिशन संचालक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र. 270/एन.आर.एच.एम./09 रायपुर, दिनांक 23.07.09

प्रति,

सिविज सर्जन(समस्त)
जिला चिकित्सालय ....,
छत्तीसगढ़।

विषयः—जिला चिकित्सालय में जे.एस.वाई.हेल्पलाइन स्थापित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 15.07.09 को राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में हुई चर्चा के अनुसार समस्त जिला चिकित्सालयों में जे.एस.वाई. हेल्पलाइन(24 x 7 hours) स्थापित किया जावे। इस हेतु यथा आवश्यक जिले के कलेक्टर से अनुमोदन कराकर कंट्रोल रूम संचालन का कार्य आउटसोर्सिंग एवं जिला चिकित्सालय में उपलब्ध स्टॉफ से की जा सकती है अथवा आवश्यकतानुसार जे.एस.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध 3 प्रतिशत प्रशासनिक मद से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा आधार पर कम से कम 5 अटैंडेंट की व्यवस्था होगी जिन्हें रूपये 5000/— प्रति अटैंडेंट मासिक मानदेय भुगतान किया जा सकता है एवं दूरभाष व्यय हेतु 1200/—प्रतिमाह एवं स्टेशनरी तथा अन्य कार्यालयीन व्यय हेतु रूपये 1000/— तक की व्यवस्था होगी। उपरोक्त व्यय जे.एस.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध 3 प्रतिशत प्रशासनिक मद के द्वारा की जा सकती है।

(विकास शील)
मिशन संचालक

कार्यालय आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र. 59 /आयुक्त/स्वा./09 रायपुर, दिनांक 27.07.09

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त),
   जिला..............................
2. सिविल सर्जन (समस्त),
   जिला..

विषयः— जिला अस्पतालों में की जाने वाली व्यवस्था।

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 08.07.09 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप निम्नलिखित कार्यवाहियॉ संपादित करना सुनिश्चित की जायेः—

1. जिला अस्पताल में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी के मध्य कार्य का वितरण तर्कसंगत ढंग से किया जाय तथा साप्ताहिक कार्य विभाजन को अस्पताल के ओ.पी.डी. में प्रदर्शित किया जाए। कार्य विभाजन के साथ—साथ महत्वपूर्ण अधिकारियों व कर्मचारियों के लिंक ऑफिसर व लिंक स्टॉफ की स्पष्ट व्यवस्था की जाए।
2. जिला अस्पताल एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्टॉफ की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर के साथ—साथ समय का उल्लेख भी अनिवार्य रूप से कराया जाय।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय, जिला अस्पताल एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मुवमेंट पंजी संधारित की जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारी को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए कि कार्यालयीन समय में कार्यालय से बाहर कहीं अन्यत्र जाने की स्थिति में मुवमेंट पंजी में उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों व कर्मचारियों का आगामी दिवस में भ्रमण कार्यक्रम नियत होने की दशा में कार्यदिवस के अंत में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पंजी में आगामी दिवस को भ्रमण पर रहने के संबंध में उपयुक्त प्रविष्टि मुवमेंट पंजी में की जाए।

कमशः...2

4. सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया जाए कि अवकाश हेतु आवेदन नियमानुसार निर्धारित अवधि पूर्व आवेदन प्रस्तुत किये जाएं तथा अवकाश स्वीकृत होने की दशा में ही अवकाश पर प्रस्थान किये जाएं।

5. प्रत्येक जिला चिकित्सालय में ओ.पी.डी. पंजीयन काउंटर के समीप एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए जिस पर इंटरकॉम की टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो। हेल्प डेस्क का संचालन ओ.पी.डी. प्रारंभ होने से लेकर सायं 6 बजे तक किया जाए।

6. हेल्प डेस्क पर एक शिकायत एवं सुझाव पेटी भी रखी जाए तथा प्रत्येक शिकायत व सुझावं पर सम्यक कार्यवाही की जाए।

7. जिला अस्पताल के ओ.पी.डी. क्षेत्र में सिविल सर्जन व R.M.O. का नाम व टेलीफोन नंबर स्पष्ट प्रदर्शित किया जाए।

8. अस्पताल में कार्यरत समस्त स्टॉफ ड्यूटी के समय निर्धारित गणवेश में रहें तथा गणवेश के साथ नेमप्लेट का भी उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। चिकित्सकों के कक्षों के बाहर उनके नाम व फोटो लगाये जाने की व्यवस्था की जाए। तकनीकी तथा पैरामेडिकल स्टॉफ हेतु भी परिचय पत्र एवं नाम पट्टिका का परीक्षण अनिवार्य है।

9. अस्पताल में संपन्न किये जाने वाले कार्यों का दैनिक प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप में ओ.पी.डी. क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाए। इस हेतु एक व्हाइट बोर्ड जीवन दीप समिति की राशि से स्थापना किया जाए व R.M.O. को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिवस का दैनिक प्रतिवेदन आगामी दिवस को प्रातः 9 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कर दिया जाए।

10. आपातकालीन आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कॉल के लिए वाहन की व्यवस्था जीवन दीप समिति की उपलब्ध राशि अनटाइड फंड से की जाए।

11. अस्पतालों में आने वाले मरीजों का परीक्षण एवं समस्त परीक्षण जांच के परिणाम परीक्षण के दिन ही प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए।

12. शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को जो जेनेरिक दवाएं लिखी व दिये जाने के शासन के निर्देश हैं। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए व किसी भी स्थिति में ब्रण्डेड दवायें नहीं लिखी जायें।

कमशः...3

13. प्रत्येक जिला चिकित्सालयों के लिए निम्नलिखित बिंदुओं में सुस्पष्ट कार्य योजना आगामी 3 वर्षों में क्रियान्वयन हेतु तैयार की जाएः—

13.1 स्टॉफ के अतिरिक्त आवश्यकता तथा अतिरिक्त स्टॉफ के वेतन की व्यवस्था।

13.2 चिकित्सालय के मरीजों के लिए ड्यूटी की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त आवश्यक राशि (यदि कोई हो) का आकलन।

13.3 जिला चिकित्सालय हेतु उपकरणों की आवश्यकता।

13.4 चिकित्सालय स्टॉफ का प्रशिक्षण कैलेंडर।

13.5 अस्पताल की अधोसंरचना को मापदंडानुसार सुझाव, सजावट कार्य आदि किये जाने वाले कार्य एवं उनकी लागत का आकलन।

13.6 संदर्भ सेवा हेतु एंबुलेंस की आवश्यकता व संचालन की प्रक्रिया भी आवश्यक राशि।

13.7 जिला अस्पताल में मापदंड के अनुरूप ब्लड बैंक की स्थापना एवं संचालन।

13.8 उपकरणों के संधारण व मरम्मत हेतु व्यवस्था।

13.9 अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना व लागत।

13.10 M.P.W. प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव।

13.11 G.N.M. प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव।

13.12 A.N.M. प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव।

13.13 साफ—सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को ठेके पर दिये जाने के संबंध में योजना एवं लागत का विवरण।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार कर जिला चिकित्सालयों की जीवन दीप समिति की कार्ययोजना समिति को कार्ययोजना का अनुमोदन कराकर दिनांक 10.08.09 तक कार्ययोजना संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित किया जाए।

उपरोक्त कार्ययोजना के अंतर्गत अधोसंरचना संबंधी कार्य योजना हेतु आवश्यक राशि का समावेश वर्ष 2011—12 की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक कार्ययोजना में किया जाए।

(विकास शील)
आयुक्त

क्र. 60 / आयुक्त / स्वा. / 09 रायपुर, दिनांक 27.07.09

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र , छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. संभाग आयुक्त (समस्त)..........................., छत्तीसगढ़।
7. कलेक्टर (समस्त)..........................., छत्तीसगढ़।

(विकास शील)
आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय मिशन संचालक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्र. 269/एन.आर.एच.एम./09 रायपुर, दिनांक 23.07.09

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(समस्त),
जिला...........................,
छत्तीसगढ़।

विषयः— संस्थागत प्रसव हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यवाही।

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 15.07.09 को राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में हुई चर्चा के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:—

1. आपके जिले में ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र जिनमें (1)वर्ष 2008—09 में संस्थागत प्रसव हुये हैं (2) लेबर रूम की उचित व्यवस्था हो एवं (3) A.N.M.मुख्यालय में निवास करती हो, को संस्थागत प्रसव हेतु आपके द्वारा मान्यता प्रदान की जाए व उनकी सूची राज्य नोडल अधिकारी (JSY) को दिनांक 25.07.09 तक प्रेषित किया जाए।

2. राज्य स्तर से जब तक EMRS का क्रियान्वयन नहीं होता तब तक आपके स्तर से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर परिवहनकर्ता का निर्धारण किया जावे तथा गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव हेतु परिवहन व्यय हेतु प्रावधानित राशि रूपये 250/—हितग्राही के माध्यम से परिवहनकर्ता को भुगतान किया जाए।

3. बैठक में हुई चर्चा के अनुसार किसी शासकीय संस्था अथवा JSY हेतु निजी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रसव की दशा में मितानिन को प्रोत्साहन राशि 200/—प्रति प्रकरण का भुगतान ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND) पर पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष ANM द्वारा किया जाएगा। इस भुगतान का विवरण निर्धारित भुगतान पत्रक के माध्यम से ANM द्वारा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा कराया जाएगा (प्रारूप संलग्न)। प्रारूप पर्याप्त प्रतियों में मुद्रित कराकर ANM को उपलब्ध कराए जाएं व माह जुलाई का प्रतिवेदन नियत प्रारूप में ही प्राप्त कर संकलित किया जाए। परंतु मितानिन को हितग्राही के साथ प्रसव हेतु आने पर प्रवास व्यय राशि 150/— का भुगतान संस्था में ही किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आंगनबांड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की पद्धति पत्र क. 1728/स./स्वा./09 रायपुर, दिनांक 28/02/09 के अनुरूप रहेगी।

क्रमशः...2

4. आपके जिले में (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जिन्हें FRU के रूप में तथा PHC 24 X 7) विकसित किया जाना है, की सूची संलग्न प्रारूप में दिनांक 25.07.09 तक तैयार कर नोडल अधिकारी (JSY) राज्य कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित की जावे।

(विकास शील)
मिशन संचालक